

<sup>1</sup>[Section 52: Collection of tax at source

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, every electronic commerce operator (hereafter in this section referred to as the “operator”), not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding one per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator.

**Explanation**—For the purposes of this sub-section, the expression “net value of taxable supplies” shall mean the aggregate value of taxable supplies of goods or services or both, other than services notified under sub-section (5) of section 9, made during any month by all registered persons through the operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month.

- (2) The power to collect the amount specified in sub-section (1) shall be without prejudice to any other mode of recovery from the operator.
- (3) The amount collected under sub-section (1) shall be paid to the Government by the operator within ten days after the end of the month in which such collection is made, in such manner as may be prescribed.
- (4) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month.

<sup>2</sup>[**Provided** that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

**Provided further** that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.]

<sup>3</sup>[**Explanation** - For the purposes of this sub-section, it is hereby declared that the due date for furnishing the said statement for the months of

---

1 Section 52 has been brought into force w.e.f. 01-10-2018 by Noti. No. 51/2018—Central Tax, dt. 13-09-2018.

2 Proviso(s) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020—Central Tax, dt. 01-01-2020.

3 Explanation inserted by CGST (4<sup>th</sup> Removal of Difficulties) order, 2018 [Order No. 4/2018—Central Tax, dt. 31-12-2018].

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

October, November and December, 2018 shall be the <sup>4</sup>[07th February, 2019.]]

- (5) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish an annual statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under the said sub-section during the financial year, in such form and manner as may be prescribed, before the thirty first day of December following the end of such financial year.

<sup>5</sup>[**Provided** that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

**Provided further** that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.]

- (6) If any operator after furnishing a statement under sub-section (4) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest, as specified in sub-section (1) of section 50:

**Provided** that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the <sup>6</sup>[thirtieth day of November] following the end of the financial year or the actual date of furnishing of the relevant annual statement, whichever is earlier.

- (7) The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the amount collected and reflected in the statement of the operator furnished under sub-section (4), in such manner as may be prescribed.
- (8) The details of supplies furnished by every operator under sub-section (4) shall be matched with the corresponding details of outward supplies furnished by the concerned supplier registered under this Act in such manner and within such time as may be prescribed.

---

4 Substituted for "31st January, 2019" by CGST (2nd Removal of Difficulties) order, 2019 [Order No. 02/2019–Central Tax, dt. 01-02-2019].

5 Proviso(s) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 1/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

6 Substituted for "due date for furnishing of statement for the month of September" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

- (9) Where the details of outward supplies furnished by the operator under sub-section (4) do not match with the corresponding details furnished by the supplier under <sup>7</sup>[section 37 or section 39], the discrepancy shall be communicated to both persons in such manner and within such time as may be prescribed.
- (10) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (9) and which is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancy is communicated, shall be added to the output tax liability of the said supplier, where the value of outward supplies furnished by the operator is more than the value of outward supplies furnished by the supplier, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated in such manner as may be prescribed.
- (11) The concerned supplier, in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (10), shall pay the tax payable in respect of such supply along with interest, at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment.
- (12) Any authority not below the rank of Deputy Commissioner may serve a notice, either before or during the course of any proceedings under this Act, requiring the operator to furnish such details relating to—
- (a) supplies of goods or services or both effected through such operator during any period; or
  - (b) stock of goods held by the suppliers making supplies through such operator in the godowns or warehouses, by whatever name called, managed by such operator and declared as additional places of business by such suppliers, as may be specified in the notice.
- (13) Every operator on whom a notice has been served under sub-section (12) shall furnish the required information within fifteen working days of the date of service of such notice.
- (14) Any person who fails to furnish the information required by the notice served under sub-section (12) shall, without prejudice to any action that may be taken under section 122, be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees.
- <sup>8</sup>[(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:
- Provided** that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may

---

7 Substituted for "section 37" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central tax, dt. 29-01-2019.

8 Sub-section (15) inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.]

**Explanation**—For the purposes of this section, the expression “concerned supplier” shall mean the supplier of goods or services or both making supplies through the operator.

---

**1धारा 52 : स्रोत पर कर का संग्रहण**

- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक ऐसी रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके माध्यम से अन्य पूर्तिकारों द्वारा की गई करोधय पूर्तियों के कुल मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "कराधेय पूर्तियों का शुद्ध मूल्य" से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय पूर्तियों, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न हैं, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा पूर्ति की गई है, समग्र मूल्य अभिप्रेत है, जिसमें से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारों द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय पूर्तियों के समग्र मूल्य को घटा दिया गया है।

- (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करने की शक्ति, प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रहण किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।
- (4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

- 2[परन्तु** आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा।

**परन्तु यह और** कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।]

- 3[स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख **4[7 फरवरी, 2019]** होगी।]

1 धारा 52 को अधिसूचना क्रमांक 51/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

3 केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 [आदेश सं. 4/2018—केन्द्रीय कर] दिनांक 31.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित।

4 केन्द्रीय माल और सेवा कर (द्वितीय कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश संख्या 2/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 01.02.2019 द्वारा "31 जनवरी, 2019" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उपधारा के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रॉनिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

<sup>5</sup>[परन्तु आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

**परन्तु** यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।]

- (6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन संबंधी कार्यकलापों से भिन्न हैं, तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

**परन्तु** ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों को इस प्रकार शुद्ध किए जाने की अनुज्ञा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् <sup>6</sup>[30 नवम्बर] या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् नहीं दी जाएगी।

- (7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, संगृहीत रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक के विवरण में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय का दावा करेगा।
- (8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तियों के ब्यौरों का, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के तत्समान ब्यौरों के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा।
- (9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे, <sup>7</sup>[धारा 37 या धारा 39] के अधीन पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत तत्समान ब्यौरों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो इस फर्क की दोनों व्यक्तियों को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी।
- (10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी फर्क की संसूचना दी गई है और जिसको पूर्तिकार द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें फर्क की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त

5 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "आने वाले सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

7 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "धारा 37" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा उस मास के जिसमें फर्क की सूचना दी गई थी, पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में प्रस्तुत जावक पूर्तियों के मूल्य से अधिक है।

- (11) संबंधित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर का संदाय, जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्थ था, उसके संदाय की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर संगणित ब्याज सहित करेगा।
- (12) उपायुक्त के रैंक से निम्न का कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके दौरान प्रचालक से निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए उसे सूचना की तामील कर सकेगा—
- (क) किसी अवधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति; या
- (ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या भांडागारों चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत माल का स्टॉक, जिसका प्रबंध ऐसे प्रचालक द्वारा किया जा रहा है और जिसके संबंध में ऐसे पूर्तिकारों ने कारबार के अतिरिक्त स्थानों के रूप में घोषणा की है, जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।
- (14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।
- <sup>8</sup>[(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :
- परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये नियत तारिख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।]

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “संबंधित पूर्तिकार” पद से प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।